विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं, जिसमें सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर - सा क्षे उ); राजस्व क्षेत्र और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इसमें ₹ 598.74 करोड़ के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 13,536 करोड़ से ₹ 26,254 करोड़ तक बढ़ गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष 2010-11 में ₹ 11,621 करोड़ से वर्ष 2014-15 में 82 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 21,164 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल व्यय में 81 से 86 *प्रतिशत* राजस्व व्यय सम्मिलित था और 13 से 19 *प्रतिशत* पूंजीगत व्यय था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 14.99 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्ति 16 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से बढ़ी।

निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- परिपेक्ष्य योजना (प यो) और वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (ए डब्ल्यू पी एवम बी) बनाने के लिए नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था जैसे कि विद्यालय स्तरीय योजना, जो कि राज्य स्तरीय योजना के लिए इमारत की नींव के समान थी, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस एम डी सी) द्वारा नहीं बनायी गयी थी।

[प्रस्तर 1.2.6.1]

- राज्य में, 83 *प्रतिशत* विद्यालय बिना गतिविधि कक्ष के हैं, 76 *प्रतिशत* बिना लाइब्रेरी के हैं, 55 *प्रतिशत* बिना खेल के मैदान के हैं, 50 *प्रतिशत* बिना कम्प्यूटर कक्ष के हैं, 48 *प्रतिशत* बिना एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला के हैं तथा 14 *प्रतिशत* बिना कक्षा-कक्ष व विद्युत के हैं, इस प्रकार ये *रमसा* के मुख्य उद्देश्यों यथा विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे।

[प्रस्तर 1.2.8.4]

- कुल अवमुक्त निधि ₹ 167.14 करोड़ के सापेक्ष ₹ 88.33 करोड़ (53 *प्रतिशत)* योजना प्रारंभ होने से अप्रयुक्त पड़े थे, परिणामस्वरूप मात्र 25 *प्रतिशत* ही निर्माण कार्य पूर्ण हुए जिससे बच्चे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे।

[प्रस्तर 1.2.8.1]

- 271 उच्चीकृत विद्यालयों के सापेक्ष 126 में कक्षा नौ में छात्रों का नामांकन निर्धारित मानक 25 से नीचे था। भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विभाग ने व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

[प्रस्तर 1.2.8.2]

- सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू सं प्रौ), योजना के अन्तर्गत ₹ 6.67 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद भी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल सका।

[प्रस्तर 1.2.12]

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिये जाने में व्यवधान थे जैसा कि चयनित 120 में से 50 विद्यालयों में पाया गया।

[प्रस्तर 1.3.8.3]

- सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं सम्पूरकों को आवश्यकतानुसार बच्चों को प्रदान नहीं किया जा रहा था एवं 2010-13 की अवधि में स्वास्थ्य परीक्षण 79 *प्रतिशत* तक कम थे।

[प्रस्तर 1.3.8.6]

- विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में योजना असफल रही क्योंकि 2010-15 की अवधि में वास्तविक नामांकन 22 *प्रतिशत* घटा।

[प्रस्तर 1.3.9.1]

- शिक्षा कर्मियों के कार्यक्रम क्रियाकलापों में वांछित चार घण्टे प्रति सप्ताह के विपरीत नौ से 12 घण्टे प्रति सप्ताह संलग्न रहने के परिणामस्वरूप पढ़ाई सम्बन्धी क्रिया कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

[प्रस्तर 1.3.9.3]

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- राज्य और जिला कृषि योजनाएं निर्धारित तिथि से 21 से लेकर 31 माह के विलम्ब से तैयार कि गई।

[प्रस्तर 1.4.6.1]

- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (रा स्त स्वी स) द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान 56 परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये बिना ही अनुमोदित किया गया।

[प्रस्तर 1.4.6.2]

- वर्ष 2011-13 से संबंधित छः परियोजनाओं के संबंध में ₹ 3.09 करोड़ का अधिक व्यय, रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना किया गया था।

[प्रस्तर 1.4.7.2]

- ₹ 4.86 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए तीन जैविक अपशिष्ट परिवर्तक संयंत्र स्थापना के 12 से 17 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी क्रियाशील नहीं थे।

[प्रस्तर 1.4.8.2 (अ)]

अनुपालन लेखापरीक्षा

नागरिक उड्डयन विभाग के क्रियाकलाप

विभिन्न हैलीपैडों एवं हवाई पट्टियों पर निजी कम्पनियों के हैलीकॉप्टरों / विमानों के लैंडिंग, पार्किंग एवं हैंगर प्रयोग के सापेक्ष शुल्क नहीं वसूला जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा सरकारी हैलीपैडों एवं वायुयान के कलपुर्जों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/ अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

[प्रस्तर 1.5]

निरर्थक व्यय

संस्कृति विभाग द्वारा, उस भूमि पर जिस पर उसका स्वामित्व नहीं था, प्रेक्षागृह के अनाधिकृत निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

[प्रस्तर 1.6]

राजस्व की हानि

वन विभाग द्वारा वन उपज के विदोहन में रुकावट के फलस्वरूप ₹ 93.31 लाख की राजस्व हानि हुई।

[प्रस्तर 1.7]

निष्फल व्यय

बेस अस्पताल के निर्माण के लिए स्थल का त्रुटिपूर्ण ढंग से चयन करने के कारण स्थल विकास पर ₹ 2.12 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

[प्रस्तर 1.8]

निष्क्रिय उपकरण

भारत सरकार द्वारा हिल रिकवरी क्रेन जिस उद्देश्य के लिए आवंटित किये गये थे, उसकी पूर्ति नहीं हो पायी, जैसे कि पु अ, टिहरी और व पु अ, देहरादून को ₹ 40.89 लाख मूल्य के दो क्रेन आवंटित थे, क्रमशः छः और तीन साल की अवधि तक निष्क्रिय पड़े रहे।

[प्रस्तर 1.9]

उत्पादक को अदेय लाभ

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मिथ्या दावों के आधार पर एक उत्पादक को ₹ 22.89 लाख के उपदान का भुगतान किया गया जो कि अब ₹ 9.91 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

[प्रस्तर 1.10]

परिहार्य व्यय

ग्रामीण विभाग द्वारा दोषपूर्ण डी.आर.पी. तैयार करने के कारण राज्य सरकार को केन्द्र पोषित योजना पी एम जी एस वाई के सड़क कार्य पर अपने संसाधनों से ₹ 152.20 लाख भुगतान करना पड़ा।

[प्रस्तर 1.11]

ब्याज का परित्याग

लोकनिर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को भुगतान किये गये मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज भारित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के ब्याज का परित्याग हुआ।

[प्रस्तर 1.12]

ठेकेदार को अदेय लाभ

लोकनिर्माण विभाग द्वारा स्वयं के मानदंडों के विपरीत ठेकेदार को समयवृद्धि का अनुचित लाभ दिया जाना जो कि ₹ 3.30 करोड़ के ऋणमुक्त नुकसान (लिक्विडेटेड डैमेज) की माफी प्रदर्शित करता हैं।

[प्रस्तर 1.13]

लोक निर्माण विभाग में निक्षेप कार्य

निक्षेप कार्यों पर किया गया व्यय, इन कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप राशि तक सीमित नहीं रखा गया था और इन कार्यों पर किए गए अधिक व्यय का वहन अन्य निक्षेप कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप राशि से किया गया था। प्राप्त निक्षेप राशि से इस प्रकार किए गए अधिक व्यय को "प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम" के अधीन प्रभारित भी नहीं किया गया था। निक्षेप कार्य के निष्पादन के उपरांत संबन्धित खण्ड द्वारा शेष/व्यय न हुये धनराशि को ग्राहक विभाग को समर्पण नहीं किया गया। अधिकतर खण्डों द्वारा वास्तविक निक्षेप प्राप्ति, किए गए व्यय, कार्यों के प्रगति की अद्यतन स्थिति एवं धन की उपलब्धता से संबन्धित विवरणों का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र - 65 में नहीं रखा गया और न ही प्रतिवेदित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ खण्डों, द्वारा निक्षेप पंजिका के भाग - III, जो कि निक्षेप कार्यों के प्राथमिक अभिलेखों में से एक है, का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

[प्रस्तर 1.14]

निष्क्रिय व्यय

समाज कल्याण विभाग द्वारा बालिका छात्रावास पर किया गया व्यय ₹ 1.02 करोड़ निष्क्रिय रहा, क्योंकि इसके संचालन हेतु व्यवस्थाओं के अभाव के कारण भवन का उपयोग नहीं किया जा सका।

[प्रस्तर 1.16]

राजस्व क्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा

मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.08 लाख के कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.98 लाख का ब्याज भी देय हुआ।

[प्रस्तर 2.2]

प्रपत्र - 11 का अनाधिकृत उपयोग

अनाधिकृत घोषणा प्रपत्र - 11 के विरुद्ध रियायती दर से शीरे की खरीद एवं करमुक्त देशी शराब का उत्पादन एवं बिक्री के परिणाम स्वरुप ₹ 16.85 लाख की राजस्व क्षति के अतिरिक्त ₹ 59.47 लाख का अर्थदण्ड भी देय था।

[प्रस्तर 2.3]

अर्थदण्ड का अनारोपण

इनपुट टैक्स के लाभ का गलत दावा करने पर ₹ 3.25 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण।

[प्रस्तर 2.4]

कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय कर विहित समय के भीतर भुगतान करने में विफल होने के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड आरोपित नही किया गया।

[प्रस्तर 2.5]

कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण के समय, पूर्व अवधि की बिक्री के लिए जिस समय उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (3) का खण्ड (ग) लागू नहीं थी, को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किये जाने के परिणामस्वरुप देय ₹ 2.15 लाख के ब्याज के अतिरिक्त 8.5 *प्रतिशत* की अन्तरीय दर से ₹ 2.57 लाख के कम कर का आरोपण किया गया।

[प्रस्तर 2.6]

घोषणा प्रपत्र - 11 एवं प्रपत्र-सी के विरूद्ध कर का न्यूनारोपण

अवैध घोषणा प्रपत्र-सी (₹ 65.81 लाख) एवं स्थानीय घोषणा प्रपत्र-11 के विरूद्ध संव्यवहार (₹ 82.73 लाख) पर कर का न्यूनारोपण।

[प्रस्तर 2.7]

राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण

पीठासीन अधिकारियों की कमी एवं अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़ताल के कारण राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हुई। राजस्व प्रकरणों के निपटान हेतु निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान लगभग 50 *प्रतिशत* कम उपलब्धि हुई। परिणामस्वरूप, विभिन्न स्तरों के राजस्व मामलें 16,108 (1 अप्रैल 2003) से बढ़कर 34,209 (अगस्त 2015) तक पहुंच गये।

[प्रस्तर 2.8]

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

अनुपालन लेखापरीक्षा

परिहार्य व्यय

यू पी सी एल द्वारा ऊर्जा के क्रय-विक्रय हेतु ऊर्जा बाजार में पंजीयन न किए जाने के परिणामस्वरुप ऊर्जा व्यापारियों को देय व्यापार लाभ/लेन-देन शुल्क के रूप में ₹ 4.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

[प्रस्तर 3.2]

पुनर्संरचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

भाग अ के अनुखण्डों के अपूर्ण क्रियान्वयन और भाग ब के अन्तर्गत कार्यों की बहुत धीमी प्रगति के कारण योजना अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। भाग ब के कार्यान्वयन के बावजूद ए टी एण्ड सी हानियां बढ़ी। यू पी सी एल विद्युत आपूर्ति के सूचंकाको की विश्वसनीयता को निर्धारित करने में और उच्चतम स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण करने में असफल रहा। भाग ब के कार्यों की प्रगति अत्यधिक धीमी होने के कारण यह प्रबल सम्भावना है कि भारत सरकार का ऋण अनुदान में परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

[प्रस्तर 3.3]

अतिरिक्त स्कन्ध का निपटान न होना

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन में निपटान न होने के कारण ₹ 1.20 करोड़ के स्कन्ध का अप्रयुक्त रहना।

[प्रस्तर 3.4]

निरर्थक व्यय

केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने में सिडकुल की शिथिलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कोष से ₹ 25.81 लाख व्यय हुए।

[प्रस्तर 3.5]

निष्फल व्यय

सिडकुल के द्वारा अनुचित अनुबंध प्रबन्धन अपनाए जाने के कारण परियोजना विकास तथा संवर्धन भागेदारी (पीडी और पीपी) पर ₹ 95 लाख का निष्फल व्यय।

[प्रस्तर 3.6]

राजस्व का परित्याग

आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप, भूखण्डों का आवंटन रद्द करने में निगम की विफलता के कारण निगम ने ₹ 4.30 करोड़ की हानि वहन की।

[प्रस्तर 3.7]